देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

E-Newsletter, Issued in Public Interest

सोमवार, 29 जुलाई 2019

अंक –2019/ACI/02

कहानी गोपालपुरा बाईपास रोड की#भाग-2

जे.डी.ए. अधिकारियों की मिलीभगत से स्कीम 10 (सूर्य नगर) के सुविधा क्षेत्र में बन गए अवैध कोचिंग संस्थान,जहाँ पर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों ने चला रखा है फायर NOC का गौरखधंधा

पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की स्कीम 10(सुर्य-नगर) का है मामला

पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा गोपालपुरा बाईपास रोड पर स्कीम-10 (सुर्य-नगर) काटी गयी थी,जिसके खसरा संख्या 203 स्थित 5 बीघा जमीन को सरकारी जमीन माना गया,जिसका इन्द्राज सुर्य-नगर स्कीम के जे.डी.ए. अनुमोदित नक़्शे और राजस्व रिकॉर्ड में दर्शित जमाबंदी रिकॉर्ड में भी किया गया है और जमीन को जे.डी.ए. के स्वामित्व में बताया गया है|

एक नहीं सात अवैध व्यवसायिक कोम्प्लेक्स और अनगिनत मकान बन गए और जे.डी.ए. सोता रहा|

जे.डी.ए. की आँख के नीचे इस सरकारी जमीन पर एक नहीं सात-सात व्यवसायिक कोम्प्लेक्स मुख्य सड़क पर खड़े हो गए साथ ही इन कोम्प्लेक्सों के पीछे भी अनगिनत मकान सीना ताने खड़े हो गए और जे.डी.ए. को इस बात की भनक तक नहीं लगी|

क्रम संख्या	कोचिंग संस्थान/व्यवसायिक गतिविधियाँ	पता
1.	Allen Carrier Institute	505,सुर्यनगर,गोपालपुरा बाईपास रोड
2.	NITJEE Academy	503,सूर्यनगर,गोपालपुरा बाईपास रोड
3.	Plus Point Institute	503A ,सूर्यनगर,गोपालपुरा बाईपास रोड
4.	Meritto Institute	502,सूर्यनगर,गोपालपुरा बाईपास रोड
5.	1. Fitoor Café & Kitchen 2. ExtraMarks Institute3.Progressive Institute	501,सुर्यनगर,गोपालपुरा बाईपास रोड
6.	Teacher ' s Academy	501-A,सुर्यनगर,गोपालपुरा बाईपास रोड
7.	Illegal Complex	500,सुर्यनगर,गोपालपुरा बाईपास रोड

गोपालपुरा बाईपास रोड पर स्कीम-10 (सुर्यनगर) की सरकारी जमीन पर चल रहे कोचिंग संस्थान

505,सुर्यनगर,गोपालपुरा बाईपास रोड,Allen Carrier Institute

503,सूर्यनगर,NITJEE Academy

503A ,सूर्यनगर,PlusPoint Institute

502,सूर्यनगर,Meritto Institute

गोपालपुरा बाईपास रोड पर स्कीम-10 (सुर्यनगर) की सरकारी जमीन पर चल रहे कोचिंग संस्थान

501,सुर्यनगर,गोपालपुरा बाईपास रोड,

1. Extra Marks Institute,ग्राउंड फ्लोर
2. Progressive Institute,फर्स्ट फ्लोर
3. Fitoor Café & Kitchen,सेकंड फ्लोर

रेस्टोरेंट में चलता अवैध हुक्का बार

501-A,सुर्यनगर,गोपालपुरा बाईपास रोड, Teacher ’s Academy

500,सुर्यनगर,गोपालपुरा बाईपास रोड पर बना अवैध कोम्पेल्क्स

पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की स्कीम-10(सूर्यनगर) का जे.डी.ए. अनुमोदित नक्शा,

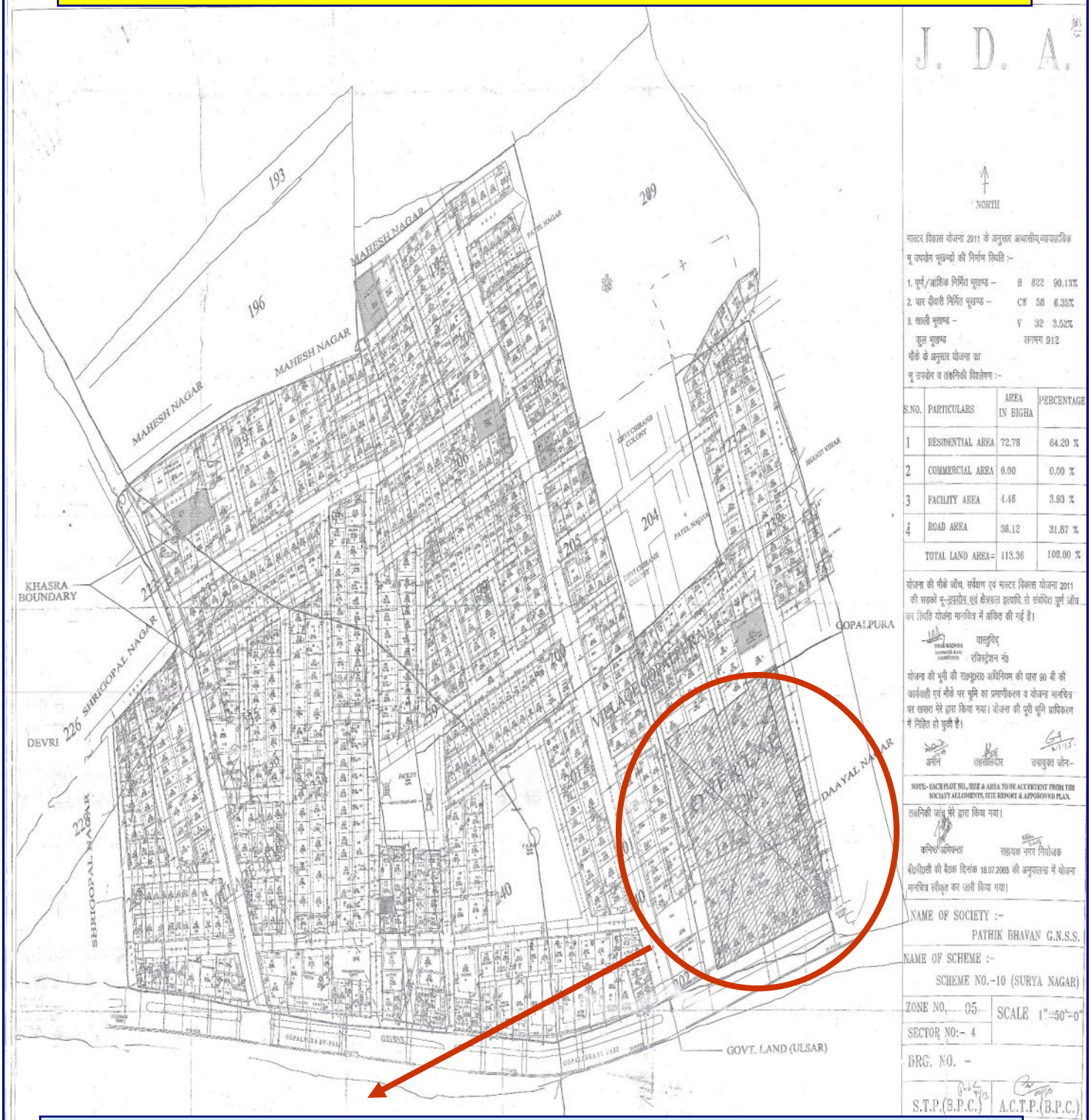

पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की स्कीम-10(सूर्यनगर) का जे.डी.ए. अनुमोदित नक्शा,

जिसमे ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का मांग्यावास के खसरा संख्या 203 को सरकारी जमीन बताया गया है|

राजस्व रिकॉर्ड में खसरा संख्या 203 की 5 बीघा जमीन को जे.डी.ए. के नाम बताया गया है|

7/13/2019 Apnakhata, Land Records of Rajasthan State, Government of Rajasthan

प्रपत्र पी-26 (बी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- गोपालपुरा
पटवार हल्का :- मांग्यावास
भू.अभि.नि. :- सांगानेर
तहसील :- सांगानेर
जिला :- जयपुर

सम्वत :- 2072 - 2075
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 21
खाता संख्या पुराना :- 23

काश्तकार का नाम:-

जगदीशनारायण पुत्र भैरूलाल, जाति माली, रकबा 9 विस्वा, रामरतन, दामोदर पि. गणेश, रकबा 12 बीघा, जाति माली, सा. रामपुरा रूपा, मुलचन्द पुत्र मुकन्दीलाल ब्राह्मण, धनरुपमल पुत्र गुलाबचंद वैश्य, विद्यादेवी पत्नी स्व. लक्ष्मीधर ब्राह्मण, विधाधर पुत्र मुलचंद, कानानाथ पुत्र जगन्नाथ महेश्वरी जीसी पुत्र आन्दीलाल जीसी सा.जयपुर रकबा 18 बीघा 12 विस्वा ।

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
203	5.0000	बारानी 3	5.0000	18.5000	नामा. स.: 74 - नि.दि.: 21/12/2017 - न्याया. आदेश से किता 5 रकबा 8.31 है. मे जगदीशनारायण पुत्र भैरूलाल, जाति माली,हि.6/616, रामरतन, दामोदर पि. गणेश, हि.240/616 जाति माली,सा.रामपुरा ,मुलचन्द पुत्र मुकन्दीलाल ब्राह्मण, धनरुपमल पुत्र गुलाबचंद वैश्य,विद्यादेवी पत्नीस्व.लक्ष्मीधर ब्राह्मण,विधाधर पुत्र मुलचंद, कानानाथ पुत्र जगन्नाथ ,महेश्वरी जीसी पुत्र आन्दीलाल जोसी सा.जयपुर हि.370/616 के नाम नवीन अंकन स्वीकार हुआ नामा. स.: 75 - नि.दि.: 14/12/2018 - न्याया. आदेश से ख.न.203/5.00,238/0.20,309/0.40,310/2.48,383/518/0 .23 किता 5 रकबा 8.31 है. जगदीशनारायण पुत्र भैरूलाल, जाति माली,हि.6/616, रामरतन, दामोदर पि. गणेश, हि.240/616 जाति माली,सा.रामपुरा ,मुलचन्द पुत्र मुकन्दीलाल ब्राह्मण, धनरुपमल पुत्र गुलाबचंद वैश्य,विद्यादेवी पत्नीस्व.लक्ष्मीधर ब्राह्मण,विधाधर पुत्र मुलचंद, कानानाथ पुत्र जगन्नाथ ,महेश्वरी जीसी पुत्र आन्दीलाल जोसी सा.जयपुर हि.370/616 के बजाय जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम नवीन अंकन स्वीकार हुआ	
238	0.2000	बारानी 3	0.2000	0.7400		
309	0.4000	बारानी 3	0.4000	1.4800		
310	2.4800	बारानी 3	2.4800	9.1760		
383/518	0.2300	बारानी 3	0.2300	0.8510		
कुल खसरे - 5	8.3100		8.3100	30.75		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है|
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्ष्य के रूप मे नहीं किया जा सकता है |
नकल जारी करने की तिथि :- 13-Jul-201

राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का मांग्यावास के खसरा संख्या 203 की कुल 5 बीघा जमीन को जे.डी.ए. के नाम (सरकारी जमीन) बताया गया है|

जवाब मांगते सवाल??

1. जे.डी.ए. की बिना अनुमति कैसे बन गए सरकारी जमीन पर अवैध कोम्प्लेक्स?

जे.डी.ए. में अधिकारीगण भ्रष्टाचार की हद को भी लांघ जाते है,पैसों के पीछे सोचते भी नहीं है कि क्या गलत है और क्या सही?इस मामले में भी भू-माफियाओं द्वारा अवैध तरीके से सभी नियम कायदों को ताक में रख कर,स्कीम की सुविधाक्षेत्र के लिए घोषित जमीन पर भी अवैध व्यवसायिक काम्पेल्क्स बना दिए गए और नामी कोचिंग संस्थानों को चांदी कूटने के लिए मोटे किराए पर थमा दिए|इन अवैध निर्माणों की लाख शिकायतों के बावजूद जे.डी.ए. के अधिकारी आँखे मूंदे रहे,थक-हार कर लोगो ने शिकायतें करना ही छोड़ दिया|

2. ना कोई सेटबैक ना कोई पार्किंग व्यवस्था?बेसमेंट में भी अतिक्रमण??सड़क पर भी पोजेक्शन एवं अतिक्रमण??जे.डी.ए. के किस अधिकारी ने किये नक़्शे एप्रूव्ड??

यदि कोई अनपढ़, गंवार आदमी भी इन कोम्प्लेक्सों को देखे तो समझ जाएगा कि इन कोम्प्लेक्सों के निर्माण में कैसे नियम कायदों को ताक पर रख कर गड़बड़झाला किया गया है|इन कोम्प्लेक्सों में ना तो किसी प्रकार का सेटबैक छोड़ा गया है ना ही इकलौती मोटरसाईकिल खड़ी करने के लिए भी पार्किंग,और तो और इन अवैध कोम्प्लेक्सों के बेसमेंट में भी अतिक्रमण कर सैकड़ों बच्चों की जान झोखिम में डाल रखी है|ऐसे में सवाल खडा होता है कि किस अधिकारी की देखरेख में इन बिल्डिंगो का निर्माण किया गया है|

3.सुरक्षा खामियां;इन बिल्डिंगों में Fire-Exit नहीं,ज्वलनशील पदार्थों से बना रखे है पार्टीशन,छत

जांच करने पर पता चला कि इन बिल्डिंगों में बनी क्लासों के पार्टीशन ज्वलनशील पदार्थों जैसे फाईबर बोर्ड,थर्माकोल से बने हुए है,जो आग लगने पर ईधन का काम करती है,इन बिल्डिंगों में फायर एक्जिट भी नहीं है,जिससे हादसा होने पर हताहतों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है|

4. जब बिल्डिंगों के नक़्शे ही एप्रूव्ड नहीं तो कैसे मिल गयी अग्निशमन विभाग फायर NOC??

जब इन बिल्डिंगों के नक़्शे ही पास नहीं है तो कैसे अग्निशमन विभाग द्वारा इन कोचिंग संस्थानों को फायर NOC स्वीकृत की गयी है और यदि फायर NOC जारी नहीं है तो कैसे बिना फायर NOC के चल रहे है यह अवैध कोचिंग संस्थान?जबकि सूरत हादसे के बाद नगर निगम के अधिकारी कई बार इन बिल्डिंगों की जांच कर गए है|

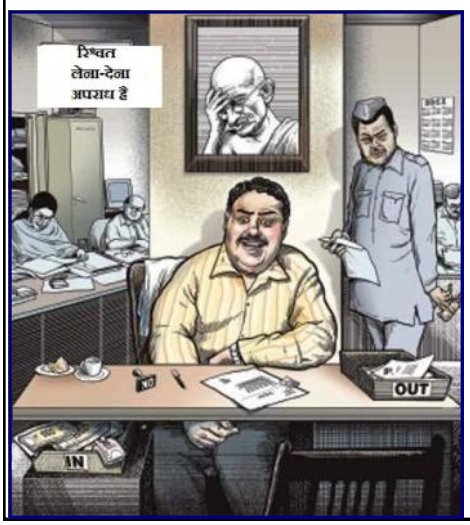

5. फायर NOC की जांच के नाम पर करोड़ों रूपये डकार गए निगम के जिम्मेदार अधिकारी

जानकार सूत्रों के अनुसार सूरत अग्निकांड हादसे के बाद इन अवैध कोचिंग संस्थानों की जांच करने पहुचें जिम्मेदार अधिकारी इन अवैध कोचिंग संस्थानों से करोड़ों रूपये मामला ठंडा करने के नाम पर ले चुके है|निगम के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा हर कोचिंग संस्थान से अलग अलग दर पर वसूली की गयी है,कोचिंग संस्थानों से वसूलने वाली यह रकम इस बात पर निर्भर करती है कि कोचिंग संस्थान के पास कितने दस्तावेजों की कमी है|मसलन एक कोचिंग से तो साढ़े आठ लाख तक की वसूली की गयी है|

6. सूरत अग्निकांड हादसा होने की आशंका??जिम्मेदार कौन?

सूरत अग्निकांड हादसे के बाद चाक चौबंद होने का दावा करने वाले अधिकारी कैसे इन बिल्डिंगों के निर्माण और फायर NOC के नाम पर हो रहे,भ्रष्टाचार पर आँख मूंदे रख सकते है ,ऐसे में भगवान ना करे इन बिल्डिंगों में कोई हादसा हो जाता है तो सैंकड़ों बच्चों की जिन्दगी के साथ होने वाली दुर्घटना की जिम्मेदारी जे.डी.ए. और नगर निगम के किन अधिकारियों की होगी?

सरकारी जमीन पर बने अवैध बिल्डिंगों पर कार्यवाही हेतु जे.डी.ए. के जिम्मेदार अधिकारी

क्रमांक	वर्तमान अधिकारी	पदनाम
1.	श्री टी. रविकांत	आयुक्त,जे.डी.ए.
2.	श्रीमती अर्चना सिंह	सचिव,जे.डी.ए.
3.	श्रीमती प्रीति जैन	पुलिस अधीक्षक,प्रवर्तन
4.	श्री रघुवीर सैनी	मुख्य नियंत्रक,प्रवर्तन
5.	श्री बलवंत सिंह लीग्री	उपायुक्त,ज़ोन-5
6.	श्री अनिल शर्मा	प्रवर्तन अधिकारी ,ज़ोन-5

फायर NOC जारी करने हेतु निगम के जिम्मेदार अधिकारी

क्रमांक	वर्तमान अधिकारी	पदनाम
1.	श्री विजयपाल सिंह	आयुक्त,नगर निगम जयपुर
2.	श्रीमती आभा बेनीवाल	उपायुक्त फायर शाखा
3.	श्री राजीव दत्ता	उपायुक्त,सतर्कता
4.	श्री जगदीश फुलवरिया	मुख्य अग्निशमन अधिकारी

ट्रेप हो चूका है नगर निगम जयपुर का मुख्य अग्निशमन अधिकारी

फाईल फोटो

नगर निगम और जे.डी.ए.में भ्रष्टाचार की रीत बहुत पुरानी है,यहाँ आने वाले अधिकतर अधिकारी इन दोनों विभागों को रुपया बटोरने की दूकान समझते है,जिसके कारण यहाँ पर आते ही अधिकारी काम कम और माल बटोरने में अधिक विश्वास रखता है,तीन साल पहले निगम में तैनात मुख्य अग्निशमन अधिकारी दिनेश वर्मा को डेढ़ लाख रूपये की रिश्वत लेते ACB की टीम ने उसके दो दलालों के साथ धर दबोचा था,जिसकी तलाशी में 61 लाख रूपये नकद मिले थे|

मुख्य अग्निशमन अधिकारी जगदीश फुलवारिया नहीं दे रहे विभाग द्वारा जारी की गयी फायर अनुज्ञाओं की सूचना

अपने कर्मों का भंडाफोड़ होता देख,मुख्य अग्निशमन अधिकारी जगदीश फुलवारिया ने तो सुचना देने पर ही ताला लगा दिया है,उनके द्वारा रेवड़ी की तरह बांटी गयी विभिन्न फायर NOC ’s के सम्बन्ध में,RTI कानून की गलियाँ निकाल कर सूचनाएं देने से मना किया जा रहा है|कभी तो कहते है कि पोस्टल आर्डर गलत नाम से है,कभी कहते है कि किसी फर्म को जारी फायर NOC तृतीय पक्ष से सम्बंधित सुचना है,जिसके लिए तृतीय पक्ष की सहमति जरुरी है|